



जोधपुर

वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम/269

**विद्युत वितरण
निगम लि०**

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

[वाणिज्य विभाग]

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651355 (का) फेक्स नं० 2651355

क्रमांक.- प्राणि/जोविनिनि/अनु-मुअ/सीपीएम/अअ/पत्रा०वाणिज्य/प्रे०स० 181 जोधपुर,दिनांक 07/05/2005

परिपत्र


विषय:-5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों की विद्युत दर के सम्बन्ध में।

टैरिफ 2001 एवं 2004 के प्रावधानों के अनुसार जिन ग्रामों की आबादी 5000 से अधिक है तथा वहाँ शहरी क्षेत्रों की तरह रात दिन विद्युत प्रदाय की जा रही है, वहाँ घरेलू कनेक्शनों के ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट देय नहीं होगी।

इसी तरह कृषि कनेक्शनों में भी जहाँ रात दिन विद्युत प्रदाय की जा रही है वहाँ ऊर्जा प्रभार दर तथा न्यूनतम बिलिंग प्रभार सामान्य श्रेणी कनेक्शन की तरह नहीं होंगे।


प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा ली गयी विभिन्न बैठकों एवं अंकेक्षण दल के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उपर्युक्त प्रावधानों की पालना पूर्ण रूप से नहीं हो रही है।

अतः सभी अधिकारियों निर्देशित है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में टैरिफ 2004 के नियमों की पालना सुनिश्चित करें।


(सच.एस.देवड़ा)
**मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ❖ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- ❖ मुख्य अभियन्ता (जो/जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवम लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (बी जोन) जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं सधा./पी.पी.एण्ड एम./पदार्थ प्रबन्ध/एमएण्डपी/आर.ई.आर.सी.टी. डब्लू/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/ बाड़मेर/बीकानेर / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- ❖ सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर
- ❖ प्रावै.सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्कॉम, विद्युत भवन जनपथ जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
- ❖ अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
(आप के अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपिये संलग्न है।)
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला वृत्त/परि.एवं सधा./एम.एम./अंकेक्षण/ वाणिज्य/ सीपीसी एण्ड रोकड), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ratification हेतु।
- ❖ प्रावै.सहा.माननीय प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम जोधपुर/जयपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविनिनि।
(आप के अधिनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।)
- ❖ प्रावै.सहा., मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी, जोविनिनि, जोधपुर


**मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।**